

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी

(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

प.3(5)रा.आ.मि/वित्त-कय समिति/ई-बोली-2/2016 -17/ 2360 दिनांक: 22.11.2016



निर्मित औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई-बोली

विज्ञप्ति वर्ष 2016-17

(होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए)

(एक वर्षीय दर संविदा दिनांक 31.12.2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली ऑन लाईन प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 14.12.2016 सांय 5:00 बजे तक

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

कमांक:- प.3(5)रा.आ.मि/वित्त-कय समिति/ई-बोली-2/2016-17/2360 दिनांक: 22.11.2016

ई-बोली विज्ञप्ति (दर संविदा) (विस्तृत विज्ञप्ति)

(होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए)

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से होम्योपैथी चिकित्सालयों/औषधालयों के उपयोगार्थ, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की दर संविदा आधार पर आपूर्ति व क्रय हेतु, भारत सरकार के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा राज्य सरकारों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राजकीय रसायनशालाओं एवं अपनी स्वयं की विनिर्माण इकाईयों में निर्माण करने तथा जी.एम.पी. का अनुपालन करने वाले राजकीय सहकारी संस्थानों से बोली आमंत्रित की जाती है।

क. सं.	विवरण	अनुमानित मुल्य (लाखों में)	बोली फार्म का शुल्क (रु.में)	ई-टेण्डरिंग प्रोसेसिंग फीस (रु.में)	प्रस्तावित आन लाईन बोली		
					फार्म डाउन लोड प्रारम्भ करने की दिनांक व समय	फार्म अपलोड करने की अंतिम दिनांक एवं समय	तकनीकी आनलाईन बोली खोलने की दिनांक एवं समय
1	होम्योपैथी चिकित्सालयों/औषधालयों के लिए निर्मित औषधी	140.80	1000	1000	24.11.2016 अपरान्ह 3.00 से	14.12.2016 सायंकाल 5:00 बजे तक	15.12.2016 अपरान्ह 1:00 बजे

नोट :-

- (1) बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन देखा जा सकता है एवं बोली केवल ऑन लाईन ही स्वीकार की जावेगी।
- (2) इच्छुक बोलीदाता को ऑन लाईन आवेदन करने से पूर्व अपने डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर रजिस्टर्ड करवाना आवश्यक है।
- (3) बोली विज्ञप्ति एवं सूचना जनसम्पर्क विभाग की वेबसाईट www.dipr.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in एवं ayurved.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती है।
- (4) प्री-बोली बैठक दिनांक 30.11.2016 को प्रातः 11.00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर में होगी।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय आयुष मिशन,
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी
(आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)
Email-mdnamrsas@gmail.com, pdnamrsas@gmail.com

निर्मित होम्योपैथी औषधियों के क्रय व आपूर्ति हेतु दर संविदा ई-बोली

(एक वर्षीय दर संविदा दिनांक 31.12.2017 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए)

बोली संदर्भ :- प.3 (5) रा.आ.मि/वित्त-क्रय समिति/ई-बोली-2/2016-17/2360

दिनांक: 22.11.2016

प्री बोली बैठक दिनांक :- 30.11.2016 समय :- प्रातः 11:00 बजे

स्थान :- आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर।

<u>बोली प्रपत्र डाउनलोड करने की</u>	:	दिनांक 24.11.2016
<u>दिनांक व समय</u>	:	समय - सांय 3.00 बजे से
<u>ऑन लाईन बोली भरने की</u>	:	दिनांक 14.12.2016
<u>अंतिम दिनांक व समय</u>	:	समय - सांय 5.00 बजे तक
<u>तकनीकी ऑन लाईन बोली खोलने</u>	:	दिनांक 15.12.2016
<u>की दिनांक व समय</u>	:	समय - मध्यान्ह 1.00 बजे
<u>बोली प्रपत्र शुल्क</u>	:	1000/- रुपये
<u>RISL प्रोसेसिंग शुल्क</u>	:	1000/- रुपये

राजस्थान सरकार

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

तकनीकी बोली प्रपत्र

(होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए)

- बोली प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ दिनांक – 24.11.2016 समय – सायं 3:00 बजे से
- बोली प्रपत्र अपलोड अन्तिम दिनांक – 14.12.2016 समय – सायं 5:00 बजे तक
- बोली प्रपत्र खोलने की दिनांक – 15.12.2016 समय – दोपहर 1:00 बजे
-

होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए दर संविदा

क्रम सं.	विवरण	बोलीदाता द्वारा भरी जाने वाली सूचना
1	बोलीदाता फर्म का पूरा नाम पता फोन न ई-मेल.आई.डी
	अधिकृत व्यक्ति का नाम, पद मोबाईल नं
2	बोली सम्बोधित है	मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान।
3	सन्दर्भ	होम्योपैथी निर्मित औषधियों के लिए जारी ई बोली सूचना क्रमांक:- प. 3 (5)रा.आ. मि./वित्त-क्य समिति/ई-बोली-2/2016-17/2360 दिनांक: 22.11.2016 जयपुर,
4	बोली शुल्क राशि डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर दिनांक स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।
5	प्रोसेसिंग फीस राशि डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर दिनांक स्केन कर अपलोड कर दिया गया है।

1. मै/हममिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली संख्या क्रमांक:- प. 3(5)रा.आ. मि/वित्त-क्रय समिति/ई-बोली-2/2016-17/2360 दिनांक: 22.11.2016 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त बोली सूचना के अतिरिक्त बोली प्रपत्र में अंकित सभी नियम व शर्तों को स्वीकार करने से बाध्य होना स्वीकार करते हैं। (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं।)

2. आपूर्ति किये जाने वाली निर्मित औषधि का विवरण बोली प्रपत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक- एक (1) में है, उनकी मात्रा को भलीभांति देख लिया है, कुल सामग्री आपूर्ति को ध्यान में लेने के बाद वित्तीय दरें ऑनलाईन अंकित की गई है। दर्शाई गई निर्मित औषधियों की मात्रा में कमी एवं वृद्धि संभव है। न्यूनतम क्रय की मात्रा की गारंटी नहीं है। दर्शाई गई मात्रा के विरुद्ध आवश्यकतानुसार आपूर्ति आदेश दिए जायेंगे।

3. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से निर्धारित अवधि 60 दिवस की अवधि के भीतर बोली नियम, शर्तों एवं आदेशों के अनुसार के औषधियों की सुपुर्दगी कर दी जावेगी।

4. उद्धृत की गयी दरें वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12.2017 तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर RTPP नियम 29-2 (1) के अनुसार बढ़ाया जा सकेगा।

5. बोली शर्तों पर हस्ताक्षर किये जाकर, अन्य आवश्यक सभी दस्तावेजों की मूल/प्रमाणित प्रति स्कैन कर अपलोड कर दिए गए हैं।

6. फर्म के भागीदारों एवं चल/अचल सम्पत्ति आदि का पूर्ण विवरण:- (स्थान कम होने पर अलग से सूचना संलग्न की जा सकती है)

क. बोलीदाता फर्म, राज्य/केन्द्र सरकार का उपक्रम/फार्मसी/राजकीय रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव समिति/संस्था है।

ख. फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण इस प्रकार है :-

क्र.सं	नाम	पद	पता	फोन नम्बर
1				
2				
3				

ग. फर्म के निम्न भागीदार है :-

क्र.सं.	नाम	विवरण	पता	फोन न.
1				
2				
3				

घ. फर्म की चल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.सं.	खाता जिसके नाम से संचालित है, का विवरण	बैंक का नाम मय शाखा का नाम	बैंक खाता संख्या	खाते में जमा राशि
1				
2				
3				

अन्य चल सम्पत्ति:-

ड. फर्म की अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है :-

क्रं	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहाँ स्थित है	सम्पत्ति का अनुमानित बाजार मूल्य
1			
2			
3			

च. क्या फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य संस्थान द्वारा काली सूची (BlackList) में डाली गई है ?

हाँ/ नहीं

यदि हॉ तो पूर्ण विवरण अंकित करे :-

7. तकनीकी बोली में निम्न विवरणानुसार प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/सहमति पत्र/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक की प्रति जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करनी होगी। अपलोडिंग के दौरान कोई तकनीकी समस्या होने के फलस्वरूप यदि कोई दस्तावेज अपलोड होने से रह जाता है, तो इसके लिए मिशन उत्तरदायी नहीं होगा एवं फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

कं. स.	विवरण	पृष्ठ संख्या (..... से.....)
1	फर्म/संस्था का भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होने अथवा राजकीय रसायनशाला होने या राजकीय रजिस्टर्ड कॉ-ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था होने संबंधी दस्तावेज, जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हो, की प्रति। साथ ही धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा मय प्रमाण पत्र। (संलग्नक- क)	
2	कम्पनी/फर्म/संस्था/सोसायटी के मेमोरेन्डम/संविधान व रजिस्ट्रेशन की प्रति।	
3	स्वयं के नाम से औषधि विनिर्माण लाईसेन्स (Manufacturing Licence) मय अद्यावधि नवीनीकरण प्रमाण पत्र एवं निर्माण की जाने वाली औषधियों की अनुमोदित सूची की प्रति। (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)	
4	अद्यतन जारी जी0एम0पी0 प्रमाण-पत्र की प्रति।	
5	निर्माता के पास रसायनशाला में औषध परीक्षण प्रयोगशाला (Drug Testing Laboratory) होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति। (यदि हो तो)	
6	उद्योग विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स की प्रति।	
7	बोलीदाता द्वारा स्वयं औषध निर्माता होने का घोषणा पत्र। (संलग्नक -ख)	
8	विगत तीन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) में केवल होम्योपैथी औषधियों का औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड न्यूनतम हो। इस हेतु सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति। (संलग्नक -ग)	
9	रुपये 10.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Blacklisted) न किये जाने के संबंध में शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित। (संलग्नक -घ)	
10	औषधि नियंत्रक से जारी नॉन कन्विक्शन (NON- CONVICTION) प्रमाण पत्र जो बोली जारी होने की तिथि से छः माह से अधिक पुराना न हो।	
11	बोली फार्म शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के डी.डी./बैंकर्स चैक की प्रति। मूल डी.डी व बैंकर्स चैक, बिन्दु संख्या 1 के अंतर्गत वांछित घोषणा तथा मूल शपथ पत्र बिन्दु संख्या 9, 30 एवं 32 एवं बिन्दु संख्या 22 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय - सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
12	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (RATP) अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के हस्ताक्षरित A,B,C,D एनेक्सर। (संलग्नक -ड.)	
13	ड्रग एवं कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के प्रावधानों में वर्णित Schedule TA के अनुसार औषध निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए कच्चे औषध द्रव्यों की गत तीन वर्ष की सूची सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित की प्रति।	
14	निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने संबंधी दस्तावेजों की मय जांच रिपोर्ट (Batch Manufacturing Report) की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।	
15	निर्माता के आई.एस.ओ अथवा अन्य गुणवत्ता से संबंधित प्रमाण पत्र यदि कोई हो तो होने संबंधी घोषणा पत्र/दस्तावेज की प्रति।	
16	संस्था द्वारा औषध निर्माण/औषध प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किए जाने संबंधी घोषणा -पत्र। (संलग्नक- च)	
17	गत तीन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) की सनदी लेखाकार (सी.ए.) द्वारा जारी फर्म की अंकेक्षण प्रतिवेदन (Audit Report) की प्रति।	
18	वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक (Registration and Tax Clearance Certificate) जिसमें दिनांक 31.03.2016 को कोई कर बकाया न होने का उल्लेख हो।	

19	बोली, बोली प्रपत्र, बोली की समस्त नियम व शर्तों से सहमत होने की घोषणा पत्र। (संलग्नक- छ)	
20	फर्म जिस निर्मित औषधि की बोली में हिस्सा ले रही है, उसके निर्माण व एफ.ओ.आर. आपूर्ति हेतु बोलीदाता का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ज)	
21	वर्तमान में उपलब्ध स्टॉक की जानकारी के प्रपत्र।	
22	बोली के लिये प्रोप्राइटर के अलावा यदि अन्य व्यक्ति को अधिकृत कर रखा, हो तो पावर ऑफ अटॉर्नी, जो कि बोली जारी होने की तिथि के पश्चात् हस्ताक्षरित किया गया हो। मूल प्रति अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय - सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
23	औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किए जाने बाबत घोषणा-पत्र। (संलग्नक -झ)	
24	मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर आपूर्ति की गयी औषधियों को अपने निजी व्यय पर वापस प्राप्त करने संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक- ज)	
25	औषधियों की आपूर्ति, आपूर्ति आदेश में दर्शाये गये समय के अनुसार करने व पेनल्टी संबंधी स्वघोषित प्रमाण पत्र। (संलग्नक -ट)	
26	बोलीदाता द्वारा जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं किए जाने के आशय का घोषणा पत्र।(संलग्नक -ठ) इस आशय के प्रमाण पत्र का अंकन औषधि आपूर्ति पश्चात् प्रस्तुत किए जाने वाले बिलो पर भी करना अनिवार्य होगा।	
27	पेन कार्ड की प्रति	
28	उत्पादन शुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र (Excise Registration Certificate) व गत 3 वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) में उत्पादन शुल्क चुकाने का चालान/रिटर्न की प्रतियां। यदि उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है, तो तत्संबंधी घोषणा पत्र मय आदेश। (संलग्नक -ड)	
29	राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के सेक्शन 7 (2) के अन्तर्गत शपथ-पत्र (संलग्नक -ढ.)	
30	फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र रुपये 100/- के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित। (संलग्नक -ण) मूल प्रति अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय - सायं 5:00 बजे तक कार्यालय में भौतिक रूप से प्राप्त होना आवश्यक है।	
31	फर्म द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 एवं वर्तमान वर्ष (2016-17) में केन्द्र/राज्य सरकारों के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी न्यूनतम 5 प्रमाण पत्र (Performance Certificate) मय आपूर्ति आदेश की प्रति। (संलग्नक- त)	
32	मैं/हम घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने जिन निर्मित औषधि हेतु बोली दी है, उनके संबंध में उक्त बिन्दु संख्या 1 से 31 तक में संलग्न किए गये सभी घोषणा पत्र /प्रमाण पत्र/अन्य सूचना सत्य एवं पूर्णतया सही है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई है, रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है। यह शपथ पत्र 500/- रु के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाकर स्केन कर अपलोड करना होगा। (संलग्नक- थ)	

नोट :- उक्त तालिका के बिन्दु संख्या 11 के तहत वर्णित दस्तावेज मूल रूप से बोली की अंतिम दिनांक तक मिशन कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी। बोली शर्त संख्या 50 के तहत चाहे गये दस्तावेज स्केन कर अपलोड किया जाना आवश्यक है। यदि इन दस्तावेजों को अपलोड नहीं किया जाता है तो फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील
नाम व पता मय
दूरभाष

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)

ई-बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं सूचना

- बोली प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in/sppp.rajasthan.gov.in> एवं ayurved.rajasthan.gov.in में से किसी भी वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है। इस बोली में भाग लेने वाले बोलीदाता बोली को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर जमा करावें।
- विभागीय बोलियों ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 14.12.2016 सायं 5.00 बजे तक है। बोली भौतिक रूप से स्वीकार नहीं होगी।
- तकनीकी बोली दिनांक 15.12.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर राजस्थान में खोली जायेगी।
- सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।
- बोली के 2 इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे होंगे:- (1) तकनीकी बोली (2) वित्तीय बोली।
- तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेजों की प्रतियाँ, जो कि अधिकृत व्यक्ति द्वारा स्व-प्रमाणित हों, स्कैन कर अपलोड करनी होगी।
- वित्तीय बोली भरने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर ले कि, **अनुलग्नक एक (1)** में वर्णित औषधी व उसकी मात्रा को वह निर्धारित समय में मिशन द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश के अनुसार आपूर्ति के लिए सक्षम है तथा मिशन द्वारा चाहे गए किट के अनुसार व चाहे गए स्थान पर आपूर्ति करने हेतु सक्षम है।
- वित्तीय बोली (बोली दर) के द्वितीय इलेक्ट्रॉनिक लिफाफे में बोली दरें ऑनलाईन निर्धारित प्रारूप (**अनुलग्नक-2**) में प्रत्येक निर्मित औषधी की आपूर्ति मात्रा को ध्यान में रखते हुए प्रति पैकिंग यूनिट दर अंकित की जानी है, अर्थात् प्रति इकाई दर देनी है।
- आपूर्ति की गई औषधि यदि निर्धारित मानदण्ड के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो बोलीदाता स्वयं के खर्चों पर उसे बदलेगा। यदि फिर भी निर्मित औषधि निर्धारित मानक के अनुरूप उपलब्ध नहीं कराता है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। बोलीदाता से परिनिर्धारित क्षति आरोपित कर नियमानुसार वसूली की जावेगी।
- बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड की अवधि दिनांक 24.11.2016 अपरान्ह 3.00 बजे से किया जा सकता है।
 - बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर दिनांक 14.12.2016 सायं 05:00 बजे तक जमा कराये जा सकते हैं। प्राप्त तकनीकी बोलियाँ इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 15.12.2016 को अपरान्ह 1.00 बजे आन लाईन खोली जावेगी। (बोलीदाता चाहे तो उपस्थित रह सकता है।)
 - यदि किसी कारणवश उस दिन अवकाश रहता है, तो अगले कार्य दिवस पर उसी समय बोलियाँ खोली जावेगी।
 - बोली से सम्बन्धित समस्त प्रक्रिया ऑनलाईन होगी। सूचना ई-मेल से दी जावेगी।
 - बोली खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी बोलियाँ नहीं खोली जा सकती हैं, तो अगले कार्य दिवस में शेष बोलियाँ खोलने का कार्य जारी रहेगा।
 - तकनीकी बोलियों में सफल बोलीदाताओं का **वित्तीय बोली प्रपत्र** इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर कार्यालय में खोली जावेगी। जिसके लिए निर्धारित समय एवं दिनांक बाबत् सूचना सफल बोलीदाताओं को ई-मेल से दी जावेगी। ईमेल से दी गई सूचना मान्य होगी तथा दूरभाष पर भी सूचित किया जावेगा।
- बोली प्रपत्रों में बोलीदाता के लिए अपेक्षित पात्रता कसौटी (Eligibility Criteria) तथा बोलीदाता की पात्रता, स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति की अनुमानित मात्रा का विवरण, नियम एवं शर्तें बोली प्रपत्र में यथास्थान पर वर्णित हैं।

12. बोलीदाता द्वारा बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के साथ निम्नांकित मूल दस्तावेज भौतिक रूप से **मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर के कार्यालय में दिनांक 14.12.2016 सांय 5:00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है -**

- (अ) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी.।
- (ब) तालिका के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटरी से प्रमाणित हो।
- (स) तालिका के बिन्दु संख्या 32 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटरी से प्रमाणित हो।
- (द) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के 1 पर अंकित मूल धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र।(संलग्नक- क)
- (य) तालिका के बिन्दु संख्या 22 के अनुसार पावर ऑफ अटार्नी।
- (र) तालिका के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार विगत 3 वर्षों में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

इसके निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं होने पर बोली खोली जाना संभव नहीं होगा, डाक/अन्य कारणों से निर्धारित समय तक डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/वांछित दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं तो उसके लिए मिशन जिम्मेदार नहीं है।

13. वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12.2017 तक बोली दरें स्वीकृत/अनुमोदन हेतु मान्य रहेगी। यदि बोलीदाता उस अवधि में अपनी बोली अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी बोली वापस लेता है, तो नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।
14. **किसी भी बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन के पास सुरक्षित है। बोली किसी भी स्तर पर किसी भी कारण से निरस्त की जा सकती है।**
15. बोलीदाता को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर स्वयं को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट, **इनफोरमेशन टेक्नोलॉजी एक्ट- 2000** के तहत प्राप्त करना होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक बोली में **डिजिटल साईन** करने हेतु काम आयेगा। बोलीदाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सीसीए द्वारा स्वीकृत एजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
 1. बोलीदाताओं को बोली प्रपत्र इलेक्ट्रॉनिक फारमेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जावेगे। कोई भी प्रस्ताव व्यक्तिगत/भौतिक बोली प्रपत्र में स्वीकार्य नहीं होगा।
 2. ऑन लाईन बोलीयाँ निर्धारित दिनांक एवं समय के अनुसार खोली जावेगी।
 3. इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ संलग्न कर दी गई है। ऑनलाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज व्यक्तिगत/भौतिक रूप से स्वीकार नहीं किये जावेंगे। कोई भी बोली इलेक्ट्रॉनिकली जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए मिशन जिम्मेदार नहीं होगा।
 4. बोली प्रपत्रों के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर ऑनलाईन अपलोड करेगे।
 5. असुविधा से बचने के लिये कृपया आवेदन हेतु अंतिम दिनांक की प्रतीक्षा नहीं करें।
 6. समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही करें।
 7. बोली फार्म शुल्क राशि 1000/-₹ का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर** के नाम से जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।
 8. प्रोसेसिंग फीस 1000/-₹ का **डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक M.D., R.I.S.L. Jaipur** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य होना चाहिए।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वयं प्रोप्राईटर

मय सील

पूरा नाम पता :-

अधिकृत प्रतिनिधि/स्वयं प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)

**मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर**

राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी (आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग)

आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर (राज.)

Email-mdnamrsas@gmail.com pdnamrsas@gmail.com

(दर संविदा)

औषधी आपूर्ति की बोली एवं बोली की सामान्य शर्तें

- (1) **होम्योपैथी निर्मित औषधी बोली फार्म की जानकारी :-**
 1. बोली में अंकित निर्मित औषधि नमूने के अनुसार सप्लाई करनी होगी।
 2. बोली में अंकित निर्मित औषधि की उल्लेखित मात्रा के अनुसार आपूर्ति मिशन निदेशक के निर्देशों/आदेश के अनुसार करनी होगी। अपूर्ण/आंशिक आपूर्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी।
 3. बोलीदाता को किसी निर्मित औषधि के नमूने के अनुसार नहीं पाये जाने पर अस्वीकृत निर्मित औषधि को 10 दिवस में बदल कर देना होगा। यदि फिर भी औषधि अनुमोदित नमूने के अनुसार उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो पूरे उस निर्मित औषधि की आपूर्ति अस्वीकार कर दी जावेगी व नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (2) **कय की जाने वाली विषय वस्तु के नमूने :-**

बोलीदाता द्वारा जिस निर्मित औषधि के लिए दरें वित्तीय बोली (अनुलग्नक -2) में दी गई है, उनके पांच-पांच नमूने जैसा कि उनके द्वारा आपूर्ति की जानी है, के सील पैक कर उन पर औषधियों का नाम व विवरण तथा फर्म का नाम अंकित कर तकनीकी बोली को खोलने की तिथि से पूर्व, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन, सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रत्येक नमूने पर बोलीदाता द्वारा अपनी फर्म का नाम लिखना होगा व अपने हस्ताक्षर करने होंगे।
- (3) **ई-बोली के माध्यम से बोली प्रस्तुत करना :-**

विभागीय बोलीयों ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से बोली विज्ञप्ति के अनुसार ऑनलाईन प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बोली विज्ञप्ति में अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर में उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष ऑनलाईन खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाएँ ई-मेल से दी जावेगी, जो मान्य होगी।
- (4) **बोली ई-प्रोक्योरमेन्ट से स्वीकार करना:-**

केवल उन्ही बोलीयों पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से ई-प्रोक्योरमेन्ट के माध्यम से भरी होगी तथा निम्नांकित मूल दस्तावेज अंतिम दिनांक 14.12.2016 समय सायं 5:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से मिशन कार्यालय में जमा कराने होंगे। इसके अभाव में तकनीकी बोली नहीं खोली जावेगी।

 - (अ) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के क्रम संख्या 11 के अनुसार बोली फार्म शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस के चैक/डी.डी.।
 - (ब) तालिका के बिन्दु संख्या 9 के अनुसार किसी भी राज्य/केन्द्र में काली सूची में (Black Listed) न किए जाने के संबंध में रूपये 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र जो कि नॉटरी से प्रमाणित हो।
 - (स) तालिका के बिन्दु संख्या 32 के अनुसार रूपये 500 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर घोषणा पत्र जो नॉटरी से प्रमाणित हो।
 - (द) तकनीकी बोली के तालिका के बिन्दु संख्या 7 के 1 पर अंकित मूल धरोहर राशि छूट हेतु घोषणा शपथ पत्र। (संलग्नक- क)
 - (य) तालिका के बिन्दु संख्या 22 के अनुसार पावर ऑफ अटॉर्नी।
 - (र) तालिका के बिन्दु संख्या 30 के अनुसार विगत 3 वर्षों में कोई भी उत्पाद अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

(5) कय हेतु सक्षम अधिकारी:-

कय समिति द्वारा स्वीकृत दरों पर बोली फार्म में अंकित औषधियों की मात्रा के लिये कय आदेश जारी करने हेतु मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राधिकृत होंगे।

(6) एक निर्मित औषधि के लिए एक ही वित्तीय दरे अंकित करना:-

सामग्री का प्रदाय रसायनशाला अजमेर पर करना होगा, अर्थात् एफ.ओ.आर. उक्त रसायनशाला होगी। अतः बोलीदाता प्रत्येक निर्मित औषधि की आपूर्ति की प्रति इकाई दर वित्तीय बोली में उक्त को ध्यान में रखते हुए ऑनलाईन अंकित करें।

नोट:-

- (1) दरें सभी प्रकार के खर्चों जैसे भाड़ा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि सहित अंकित की जावें, किन्तु केन्द्रीय एवं राजस्थान राज्य बिक्रीकर (सी.एस.टी. और आर.एस.टी./वैट) को सम्मिलित नहीं किया जावे, उन्हें अलग से निर्धारित कॉलम में ही अंकित करें।
- (2) निर्मित औषधि को रसायनशाला अजमेर पर पहुँचाने का समस्त खर्चा बोलीदाता को वहन करना होगा।
- (3) माल पहुँचाने व उतरवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
- (4) यदि बोलीदाता वित्तीय बोली में ऑनलाईन दरों के साथ किसी प्रकार का कर (सी.एस.टी./वैट) का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है, तो दरें कर सहित मानी जावेगी। ऐसी स्थिति में वित्तीय बिड का मूल्यांकन करते समय निविदादाता को अपनी दरों में से VAT को पृथक से बताना होगा। वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTTP Rule 2013 के नियम 65 व 66 के अनुसार होगा।
- (5) **अनुलग्नक 1** में अंकित औषधियों की मात्रा व उनके किट बनाये जाने एवं उनके निर्धारित रसायनशाला अजमेर पर सुरक्षित पहुँचाने, पैकिंग व अन्य खर्चे आदि सभी बोलीदाता को वहन करने होंगे। इसके लिए मिशन द्वारा कोई खर्चा/क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
- (6) रसायनशाला पर आपूर्ति की गई औषधियों के प्रत्येक बैच के 2 नग सैम्पल टेस्टिंग की दृष्टि से अतिरिक्त आपूर्ति करने होंगे।

(7) बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:-

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें, वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 31.12.2017 तक निर्णय हेतु वैध होगी। इस अवधि में अनुबंध एक साथ अथवा विभाजित कर एक से अधिक बार मिशन की सुविधानुसार संपादित किया जा सकेगा एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 20 (बीस) के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरो की वैधता शर्त संख्या 8 से नियंत्रित होगी।

(8) बोली की अवधि :-

अनुमोदित/स्वीकृत दरो की दर संविदा वैधता अवधि वित्तीय बोली खुलने की दिनांक से 31.12.2017 तक मान्य होगी। यदि किसी कारणवश आगामी बोली स्वीकृत नहीं हो पाती है तो केन्द्रीय भण्डार कय समिति के अनुमोदन पर कय अधिकारी एवं बोलीदाता के आपसी समझौते पर संविदा अवधि को तीन माह के लिए उन्हीं दरों एवं शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है।

(9) बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैंकर्स चैक स्कैन कर अपलोड करना :-

बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली राशि पृथक-पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में ई-बोली भरते वक्त स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य है। बोली राशि के अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोली राशि डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है। प्रोसेसिंग शुल्क राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक प्रबंध निदेशक, आर.आई.एस.एल जयपुर के नाम से ही स्वीकार्य है।

नोट:- विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली राशि/सुरक्षा अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बयाना राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।

(10) निर्धारित विवरण एवं विभागीय नमूने के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करना तथा आपूर्ति की गई सामग्री में से नमूने की प्रयोगशाला में जांच करवाना :-

निर्मित औषधि बोली प्रपत्र **अनुलग्नक- 1** में उल्लेखित निर्मित औषधि की आपूर्ति मात्रा के अनुसार संबंधित 4 रसायनशालाओं अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर में आपूर्ति करनी होगी। जिसके लिए किसी प्रकार का परिवहन व्यय अलग से देय नहीं होगा। किसी सामग्री में लाईसेंस अथवा प्रमाण पत्र आवश्यक होने की स्थिति में सक्षम स्तर से अधिकृत लाईसेंस/प्रमाण पत्र लेने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

1. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में जिन औषधियों की दर दी गई है, उन औषधियों के पांच-पांच नमूने अलग-अलग पैकिंग सहित सील बन्द रूप से जिन पर औषधियों की सूची चस्पा हो, तकनीकी बोली खोलने की अन्तिम तिथि से पूर्व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, आयुष भवन सैक्टर-26, प्रताप नगर, जयपुर, राजस्थान के कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। वांछित नमूने प्राप्त नहीं होने पर उस औषधि/औषधियों की वित्तीय बोली पर विचार नहीं किया जावेगा। जिस बोलीदाता की बोली अस्वीकार हो जाती है, तो उसके द्वारा ये नमूने 1 माह पश्चात् वापस लिये जा सकेंगे, इसके पश्चात् उनकी वापसी का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा।
2. प्रदाय की जाने वाली निर्मित औषधि निर्धारित मापदण्ड व नमूने के अनुसार हो। यदि मापदण्डों के अनुसार नहीं पाई जाती है, तो उसे बदलकर बोलीदाता को मापदण्ड व नमूने अनुसार निर्मित औषधि आपूर्ति करनी होगी, जिसके लिए अलग से कोई व्यय देय नहीं होगा।
3. औषधियों की आपूर्ति, उनकी गुणवत्ता, किसी प्रकार के परिवहन होते समय नुकसान से बचाव आदि को ध्यान में रखते हुए उचित मजबूत पैकिंग में करनी होगी। पैकिंग व्यय अलग से देय नहीं होगा।
4. आपूर्ति की गई निर्मित औषधियों के प्रत्येक बैच में से आपूर्ति/भण्डारण/वितरण पोइन्ट से जांच हेतु सैम्पल लिए जावेंगे तथा इनकी जांच क्रेता अधिकारी द्वारा विभिन्न सूचीबद्ध प्रयोगशाला में कराई जाएगी जिसका समस्त व्यय आपूर्तिकर्ता (बोलीदाता) को वहन करना होगा। यदि मिशन द्वारा करवाई गई जांच रिपोर्ट मानको के अनुरूप नहीं पाई जाती है तो संबंधित फर्म द्वारा औषधियों को वापस लेना होगा एवं उतनी ही मात्रा की औषधियां संबंधित स्थान पर आपूर्ति करनी होगी, इस पर होने वाले व्यय का मिशन द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। मानको के अनुरूप जांच रिपोर्ट होने के आधार पर ही नियमानुसार भुगतान किया जा सकेगा।

(11) स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान:-

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान बोलीदाता से तीन प्रतियों में बिल प्राप्त होने पर बोलीदाता को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान करने की व्यवस्था की जावेगी। यदि बोलीदाता ड्राफ्ट द्वारा भुगतान चाहता है, तो बोलीदाता को बैंक ड्राफ्ट द्वारा नियमानुसार भुगतान की व्यवस्था भी की जा सकेगी, परन्तु ड्राफ्ट का व्यय बोलीदाता को वहन करना होगा। भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले बिलों पर बोलीदाता द्वारा "जो अनुमोदित राशि बिल में अंकित है, इससे कम दर पर निर्मित औषधि की आपूर्ति अनुबन्ध अवधि के दौरान नहीं की गई है" का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।

(12) बोलीदाता द्वारा बोली किसी अन्य एजेन्सी को देना:-

बोलीदाता बोली किसी अन्य एजेन्सी को न तो Sublet करेगा और न ही सप्लाय करवाएगा।

(13) समानान्तर बोली:-

विभाग को समानान्तर बोली तय करने का अधिकार RTTP Rule 2013 के नियम 29 एवं 74 के अनुसार होगा। उपलब्धता एवं आवश्यकताओं के मध्येनजर न्यूनतम दर पर अन्य फर्मों को भी क्रयादेश दिया जा सकेगा। इस हेतु मिशन द्वारा अनुमोदित एल-1 की दर के बारे में अन्य सफल बोलीदाताओं को जरिये ई-मेल सूचित किया जाकर उनके द्वारा एल-1 की दर पर आपूर्ति की सहमति प्राप्त की जावेगी। जिस बोलीदाता द्वारा दरे कम करते हुए एल-1 पर आपूर्ति की सहमति प्रदान की जाती है, उससे अनुलग्नक -2 के अनुसार दरे ली जावेगी।

(14) क्रय की मात्रा:-

क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वह वर्तमान आवश्यकता के अनुसार है, जो केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयादेश विभाग की आवश्यकतानुसार दर संविदा अवधि 31.12.2017 के दौरान दिये जायेगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत तक दर संविदा अवधि 31.12.2017 के दौरान क्रय आदेश दिया जा सकता है।

(15) सामान सप्लाई की अवधि:-

बोलीदाता को क्रयादेश निर्गमन दिनांक से 60 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 60 वे दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 3.00 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाई करने में असमर्थ रहता है, तो निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है, माल की कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) के रूप में, न कि दण्ड के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

- | | | |
|-----|--|-------------|
| (क) | माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर | 2.5 प्रतिशत |
| (ख) | माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर | 5 प्रतिशत |
| (ग) | माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर | 7.5 प्रतिशत |
| (घ) | माल सप्लाई करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर | 10 प्रतिशत |

सामान्यतः क्रयादेश निर्गम की दिनांक से 60 दिन के पश्चात माल स्वीकार नहीं किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि प्रदायकर्ता उचित बाधाओं के कारण संविदा अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समयवृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है, किन्तु वह इसके लिए निवेदन बाधा उत्पन्न होने पर तुरन्त उसी समय करेगा। यदि माल का प्रदाय करने से उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई है, तो सुपुदगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) सहित या रहित भी की जा सकेगी। केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति की राय से उचित कारणों पर सम्पूर्ण जॉब के मूल्य पर अधिकतम 10 प्रतिशत तक परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

नोट:- निर्धारित अवधि 60 दिवस में सप्लाई करने में असमर्थ हो तो आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने की तिथि से 3 दिवस के भीतर अवगत करावे, ताकि अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जा सके।

(16) आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :-

1. बोलीदाता द्वारा क्रयादेश की आपूर्ति अनुमोदित नमूने के अनुसार निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्यक्षीन बढी हुई अवधि में आपूर्ति करने में असफल रहता है तथा सैम्पल क्वालिटी स्टैण्डर्ड व स्पेशिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाने पर ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण है कि निर्मित औषधि की अपूर्ण आपूर्ति हुई है। बोलीदाता समस्त निर्मित औषधि आपूर्ति में असफल रहा है तथा सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति (सहमति क्षति पूर्ति) आरोपित के आदेश दे सकेगा।
2. आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप मिशन/क्रेता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई निर्मित औषधि को बोलीदाता की जोखिम लागत पर केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेगे, जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।
3. निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में वृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा औषधियों की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार ब्लैक लिस्टेड/आगामी निविदाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित (Debar) किया जा सकेगा। इसमें किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(17) प्राईस फॉल क्लोज:-

दर संविदा के अधीन कीमतें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यक्षीन होंगी। कीमत गिरने का खण्ड, दर संविदाओं में कीमत सुरक्षा क्रिया विधि है और यह उपबंध करता है कि यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल, संकर्मों या सेवाएँ देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय-वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्मों को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत पर करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत को उनकी स्वीकारोक्ति को सूचित करने के लिए पन्द्रह दिन का समय दिया जावेगा। इसी प्रकार यदि कोई समानान्तर दर संविदा धारक फर्म, दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मों और मूल दर संविदा धारक फर्म को अपनी कीमतें तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जावेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म, कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार के माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है, तो उसे अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी। अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य किसी को माल नहीं बेचने का प्रमाण-पत्र बोलीदाताओं को बिल में अंकित करना होगा।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फॉल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है, तो फर्म बोलीदाता द्वारा मिशन से प्राप्त अधिक राशि सूचित करने के बाद जमा कराने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्त अधिक राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(18) सुरक्षा राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना:-

भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत वस्तुओं की सूचना मिलने पर बोलीदाता को पत्र निर्गमित होने के 10 दिन के अन्दर नियमानुसार अपेक्षित राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ए.एस. आर. 17 में अनुबन्ध करना होगा। निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को जमा करानी होगी :-

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर के नाम प्लेज्ड हो।

नोट:-

1. अनुबन्ध सम्पादित नहीं करने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।
2. पूर्व वर्षों की जमा सुरक्षा/बोली राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
3. वर्तमान बोली की बोली राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमों का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमों का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
4. यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(19) अस्वीकृत वस्तुएँ:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर, अस्वीकृति की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 30 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु को बोली दाता को स्वयं अपने खर्चे से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओं से वसूल किया जावेगा, जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर संबंधित रसायनशाला अजमेर द्वारा अस्वीकृत माल नीलामी/नष्ट जैसी परिस्थितियाँ हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि मिशन कोष में जमा करा दी जावेगी।

(20) सुरक्षा राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बयाना राशि जब्त करना:-

यदि कोई सफल बोलीदाता नियम 18 में दर्शाई गई अवधि में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबंध पत्र भरकर नहीं देता है तो बोलीदाता की जमा बयाना राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा।

नोट :-यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(21) बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटाना:-

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आईटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली राशि के पूर्ण निर्णय अथवा बोली खोलने की तिथि के 3 माह पश्चात जो भी देरी से हो, लौटाई जा सकेगी, यदि संबंधित बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया न हो।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि आदेशित आपूर्ति को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आईटमों का बोलीदाता द्वारा बोली शर्त सं0 18 के अनुसार निर्धारित अवधि में अनुबंध पत्र भरने एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली राशि लौटा दी जावेगी यदि बोलीदाता के विरुद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो।

नोट :-यदि बोलीदाता केन्द्र/राज्य सरकार का राजकीय उपक्रम/फार्मसी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्था है, तो उसे बोली राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट है।

(22) सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियों, डिब्बें, पत्तियाँ आदि होगी, वो निःशुल्क होगी तथा बोलीदाता को लौटाया नहीं जावेगी। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। औषध परिवहन के समय रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए मिशन की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(23) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना:-

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी और यदि स्वीकार हो जाती है, तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) आयात लाइसेंस:-

यदि किसी वस्तु के लिये आयात लाइसेंस/अनुज्ञापत्र की आवश्यकता है, तो उसकी व्यवस्था करने की उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।

(25) सुरक्षित अधिकार:-

मिशन निदेशक एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके उँची दरें स्वीकृत कर ले अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(26) कानूनी विवाद क्षेत्र:-

समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

(27) वास्तविक निमाता द्वारा बोली भरी जाना:-

बोली केवल उन्हीं केन्द्रीय/राज्य सरकार के उपक्रमों/फार्मर्सी अथवा राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी संस्थाओं

द्वारा भरी जा सकेगी, जो एतद द्वारा विहित पुरोभाव्य शर्तें पूर्ण करती हो :-

1. उक्त उपक्रमों/फार्मर्सी/सोसायटी के पास स्वयं का ड्रग्स विनिर्माण का लाइसेंस हो।
2. उक्त उपक्रमों/फार्मर्सी/सोसायटी विगत 3 वर्षों से औषधियों का निर्माण व विक्रय कर रहे हो।
3. उक्त बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी उनवान से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, उसी उनवान से बिल आदि भुगतान हेतु मिशन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त बिलों के अतिरिक्त किसी अन्य उनवान के प्रस्तुत बिलों के भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में मिशन किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(28) बोली दरें अंकित करना:-

वित्तीय बोली में दरें ऑन लाईन प्रपत्र में भरी जावेगी। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकरों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

औषधियों की सूची में अंकित औषधी के नाम में भाषा संबंधित कोई अन्तर हो तो अथवा अन्य पैकिंग में हो तो दर प्रस्तुत करने वाली सूची में ही उसके सामने पृथक से विवरण अंकित करे, लेकिन निर्मित औषधी में घटक परिवर्तित नहीं होने चाहिए।

(29) क्रय अधिमान :-

इस हेतु RTPP Rule 2013 व अधिनियम 2012 के अन्तर्गत नियम व प्रावधान प्रभावी होंगे।

(30) बोली को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> के माध्यम से प्रेषित की जा सकेगी।

(31) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-

1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि में मिशन निदेशक द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. मिशन निदेशक को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(32) निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-

बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी।

(33) निरीक्षण अधिकारी:-

तकनीकी बोली खुलने के बाद क्रय समिति यदि आवश्यक समझेगी तो सभी उपक्रमों/संस्थाओं/औषध निर्माताओं द्वारा तकनीकी बोली प्रपत्र में दिए गए दस्तावेजों का सत्यापन करने के लिए निरीक्षण करवा सकेगी तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर फर्म को तकनीकी रूप से योग्य/अयोग्य किया जा सकेगा।

(34) बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-

बोली शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल मिशन निदेशक में शक्तियां निहित हैं।

(35) तकनीकी बोली, बोली का भाग होगा। तकनीकी बोली में वांछित दस्तावेज उसी क्रम में संलग्न करे, जिस क्रम में बोली में अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(36) ई-बोली से सम्बन्धित नियम शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।

- (37) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.2013 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो कि संलग्न है।
- (38) उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012/नियम 2013 के अनुसार होगी।
- (39) औषधियों की गुणवत्ता के संबंध में आपूर्ति करते समय बैचवार राजकीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला/ केन्द्र/राज्य सरकार मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा जारी जांच प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- (40) निर्मित औषधि की आपूर्ति संबंधित रसायनशाला अजमेर के स्टोर पर करनी होगी।
- (41) यदि बोलीदाता द्वारा गलत, कूटरचित अथवा तथ्य छिपाकर बोली हेतु दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हो तो, बोलीदाता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी व फर्म को काली सूची में डाला जा सकेगा तथा फर्म के विरुद्ध नियमानुसार आर.टी.पी.पी. एक्ट 2012 की धारा 11 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।
- (42) बोली की शर्तों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास/विवाद होने पर मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- (43) **अपील** :- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय-III एवं नियम-2013 के अध्याय VII के प्रावधान के अनुसार राजस्थान स्टेट आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर हेतु अपील अधिकारी निम्नानुसार है:-

क्रं सं	प्रथम अपील अधिकारी	द्वितीय अपील अधिकारी
1.	प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

- (1) बिन्दु (9) के अधीन रहते हुए यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कारवाई या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या यथास्थिति लोप की तारीख से दस दिनकी अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :-
- परन्तु बोली लगाने वाले की सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है।
 - परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है, वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी, जिसकी तकनीक बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।
- (2) बिन्दु (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप-धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया गया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा, जो बिन्दु (5) के अधीन पारित आदेश के अधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्य होगा।

- (3) अधिकारी, जिसके समक्ष बिन्दु (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
- (4) यदि बिन्दु (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप-धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था बिन्दु (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, बिन्दु (2) के अधीन पारित आदेश की प्रति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर बोली दस्तावेज में वर्णित द्वितीय अपील अधिकारी को अपील दाखिल कर सकेगा।
- (5) बिन्दु (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त बिन्दु के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाये गये नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।
- (6) द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष अपील बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, यथा सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा। परन्तु यदि द्वितीय अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह उसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।
- (7) अपील अधिकारी जिसके समक्ष बिन्दु (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या यथास्थिति बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जायेगा।
- (8) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के परिवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन और संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस पैरा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जायेगी।
- (9) **कतिपय मामलों में अपील नहीं होगी :-** उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों में से संबंधित किसी विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी, अर्थात् :-
- (क) उपापन की आवश्यकता का अवधारण।
- (ख) बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध।
- (ग) यह विनिश्चय कि बातचीत की जाये या नहीं।
- (घ) उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण।
- (ङ) गोपनीयता के उपबंधों का लागू होना।
- (10) **अपील का प्रारूप -**
- (क) बिन्दु (1) या (4) के अधीन यदि कोई अपील संलग्न प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।
- (ख) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।
- (ग) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकरण डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(11) **अपील फाइल करने के लिए फीस –**

- (1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।
- (2) फीस का संदाय किसी भी अधिसूचित बैंक के मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

(12) **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –**

- (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।
- (2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी :-
 - (क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा, और
 - (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।
- (3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात् संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।
- (4) उप बिन्दु (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

(44) निर्मित औषधियों की आपूर्ति बोलीदाता द्वारा की जावेगी किसी एजेन्सी के माध्यम से आपूर्ति स्वीकार नहीं होगी।

(45) औषधियों की अनुमानित मात्रा व अन्य विवरण अनुलग्नक 1 में वर्णित है व मात्रा अनुमानित है इसमें कमी/बेशी का सम्पूर्ण अधिकार मिशन निदेशक का होगा। वित्तीय बिड में दी गई दर क्रयादेश की मात्रा व आपूर्ति स्थान के अनुसार परिवर्तित नहीं होगी।

(46) बोलीदाता द्वारा दी गई व स्वीकार की गई वित्तीय बोली की दरें दर संविदा अवधि 31.12.2017 तक विधि मान्य होगी तथा इसमें किसी भी कारण से कोई दर वृद्धि देय नहीं होगी।

(47) सशर्त बोली स्वीकार नहीं होगी।

(48) वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार RTPP Rule 2013 के नियम 64 के अनुसार होगा।

(49) **भुगतान प्रावधान :-**

- (1) बोलीदाता को अग्रिम राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (2) सप्लायर की गई औषधियों से सैम्पल की अनुमोदित प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही भुगतान किया जावेगा।
- (3) सप्लायर की गई औषधियों के लिए गये सैम्पल यदि स्टैण्डर्ड प्रावधान के अनुरूप नहीं पाए जाने व सैम्पल फ़ैल होने की स्थिति में वर्तमान कानूनी प्रावधान के तहत कार्यवाही हेतु क्रेता अधिकारी सक्षम होंगे।
- (4) सप्लायर को अस्वीकृत माल के नये स्टॉक से बदलना होगा।
- (5) जो निर्मित औषधियां स्टैण्डर्ड क्वालिटी की नहीं पाई जावेगी, उनका भुगतान बोलीदाता को नहीं किया जावेगा, चाहे उनका उपयोग कर लिया गया हो अथवा नहीं। क्रेता अधिकारी को बोलीदाता के किसी भी बकाया अन्य भुगतान से इस अस्वीकृत माल की राशि वसूल करने का अधिकार होगा, ऐसी स्थिति में बोलीदाता के विरुद्ध नियमानुसार ब्लैक लिस्टिंग/डीबार करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

- (6) औषधियों की आपूर्ति के समय परिवहन/पैकिंग या अन्य कारणों से किसी प्रकार की क्षति या आपूर्ति में कमी दृष्टिगत होती है तो फर्म को सूचित करने के 15 दिवस में पाई गई कमी की आपूर्ति करनी होगी, इसके अभाव में कम प्राप्त हुई सामग्री का भुगतान काटकर एवं शास्ति आरोपित कर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
- (7) सप्लायर आपूर्ति से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक किट में आदेशित औषधि की मात्रा पूरी संधारित की हुई है, यदि मात्रा में कमी पाई जाती है तो उसका भुगतान काटते हुए शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।

(50) औषधियों की आपूर्ति हेतु बोली से संबंधित पात्रता की शर्त:-

निम्नांकित बिन्दुओं की शर्तें पूरी होने पर ही संबंधित फर्म बोली भरने के लिए पात्र होगी। प्रत्येक बिन्दु के लिए प्रमाण पत्र/घोषणा पत्र/वांछित दस्तावेज साक्ष्य के बतौर तकनीकी बोली में स्केन कर अपलोड करने होंगे। इनके अभाव में कमेटी द्वारा संबंधित फर्म की तकनीकी बोली पर निर्णय किया जाना संभव नहीं होगा:-

- (1) केवल वही फर्म/संस्था जो कि भारत सरकार/राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/फार्मसी एवं राजकीय रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव क्षेत्र की संस्था है और जो स्वयं मूल औषधि निर्माता हो व जी.एम.पी. प्रमाण पत्र धारक हो वही बोली में भाग लेने के पात्र होंगे।
- (2) बोलीदाता के स्वयं के नाम से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध नवीनीकृत लाईसेन्स एवं जी.एम.पी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। (लोन लाईसेन्स स्वीकार्य नहीं होगा)
- (3) वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीयन प्रमाण पत्र व कर चुकता प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2016 तक **(Registration and Tax Clearance Certificate)** जिसमें दिनांक 31.03.2016 को कोई कर बकाया न होने का उल्लेख हो।
- (4) विगत तीन वर्षों (2013-14, 2014-15, 2015-16) में केवल होम्योपैथी औषधियों के लिए औसतन टर्न ओवर 1.00 करोड का हो। यदि सकल टर्न ओवर दिया गया है तो अलग से होम्योपैथी औषधियों का टर्नओवर अंकित किया जावे।
- (5) निर्माता द्वारा विगत तीन वर्षों (2013-14 से 2015-16) से निरन्तर औषध निर्माण एवं विपणन करने संबंधी दस्तावेजों की मय जांच रिपोर्ट **(Batch Manufacturing Report)** की सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।
- (6) फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्षों में किसी भी राज्य/केन्द्र द्वारा अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।
- (7) फर्म द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 एवं वर्तमान वर्ष (2016-17) में केन्द्र/राज्य सरकारों के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी न्यूनतम 5 प्रमाण पत्र **(Performance Certificate)** मय आपूर्ति आदेश की प्रति।

- (51) प्रत्येक औषधालय/चिकित्सालय हेतु औषधियों का एक-एक किट आपूर्ति आदेशानुसार तैयार कर पैकिंग करते हुये सप्लाइ की जानी होगी।
- (52) औषधियां अनुलग्नक 1 में दर्शाई गई निर्मित औषधि की मात्रा में से क्य आदेश के अनुसार आपूर्ति संबंधित रसायनशाला अजमेर में एफ.ओ.आर सप्लाइ करनी होगी।
- (53) औषधियों की सप्लाइ स्वीकार होने तक किसी भी प्रकार की क्षति की जिम्मेदारी आपूर्तिकर्ता की होगी। पैकिंग करते समय औषधि की प्रकृति को देखते हुए पैकिंग इस प्रकार करनी होगी कि, गन्तव्य स्थान पर औषधि पहुँचने तक व अंकित एक्सपायरी दिनांक तक सुरक्षित रहे तथा उनकी गुणवत्ता एवं प्रकृति प्रभावित न हो। प्रत्येक औषधि के पैकिंग लेबल पर **'राजस्थान सरकार की सप्लाइ, बिक्री के लिये नहीं'** अंकित करना होगा।
- (54) पैकिंग में औषधियां कम पाये जाने पर संबंधित रसायनशाला प्रभारी/व्यवस्थापक रसायनशालाए द्वारा अवगत कराये जाने पर फर्म द्वारा उसकी तत्काल आपूर्ति करवाई जावेगी, अन्यथा कम पाई गई औषधियों का भुगतान काट कर बिल का भुगतान किया जावेगा। उक्त भुगतान को आपको स्वीकार करना होगा। मिशन का निर्णय अंतिम होगा।

- (55) माल का भुगतान, इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा। प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।
- (56) औषधि बनाते समय उपयुक्त विधि, मानदण्ड व गुणवत्ता को ध्यान रखना आवश्यक होगा। औषधि नियन्त्रण अधिनियम के अन्य प्रावधानों की पालना करना आवश्यक है।
- (57) बिल के साथ राजकीय/केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित औषध परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा प्रत्येक बैच की टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।
- (58) गोली या कैप्सूल प्लास्टिक/ग्लास की पैकिंग पर प्रत्येक मद के सामने उल्लेखित इकाई के अनुसार औषधियों का नाम, बैच संख्या, विनिर्माण की तारीख तथा एक्सपायरी की तिथि एवं 'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नहीं' अंकित करना अनिवार्य है।
- (59) औषधियों की निर्माण/प्रयोग की अवधि
1. आपूर्ति की जाने वाली औषधी के प्रत्येक बैच के प्रत्येक बोतल/पैकेट/टिन आदि पर विनिर्माण की तारीख, बैच सं० और मुख्य संघटक एवं एक्सपायरी तिथि स्पष्ट रूप से अंकित होना आवश्यक है। बाह्य लिफाफे, कार्टून एवं ट्यूब पर भी बैच सं० और निर्माण की तारीख एवं एक्सपायरी तिथि अंकित होनी आवश्यक हैं।
 2. औषधियों की सेल्फ लाईफ एक्सपायरी तिथि ड्रग एण्ड कोस्मेटिक नियम 1945 के सेक्शन 106 ए तथा शिडयूल एम 1 में निहित प्रावधानों के अनुसार होगी एवं आपूर्ति की गई औषधी की एक्सपायरी तिथि मिशन को आपूर्ति किए जाने के समय तीन चौथाई (3/4) की अवधि शेष रहनी चाहिए।
 3. औषधियों की पैकिंग एवं लेबलिंग ड्रग्स एण्ड कोस्मेटिक एक्ट 1940 एवं नियम 1945 तथा समय-समय पर इस संबंध में जारी निर्देशों के अनुरूप होना आवश्यक है।
 4. उत्पाद के लेबल और बाह्य पैकिंग (कार्टन/रैपर) जब कभी उत्पाद बाह्य पैकिंग सहित आपूर्ति किया जाता है, तो उस पर भी 'राजस्थान सरकार की सप्लाई, बिक्री के लिये नहीं' मुद्रित/चिपकाया गया होना चाहिए :-
 - (1) फर्म का नाम
 - (2) औषधी का नाम
 - (3) औषधी के मुख्य संघटक
 - (4) औषधी के घटको की मात्रा
 - (5) बैच सं०
 - (6) विनिर्माण की तिथि
 - (7) एक्सपायरी तिथि
 5. उत्पाद की असलियत और अर्न्तवस्तु की अन्य शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बोतल/टिन/प्लास्टिक कन्टेनर आदि पिलफरप्रूफ सील (P.P.Seal) किया जाना अपेक्षित है। पैकिंग को सील करने के लिए चिकने कागज का प्रयोग न किया जाये।
 6. संबंधित भण्डार को आपूर्ति की जाने वाली औषधियों के सभी लेबल हिन्दी एवं अंग्रेजी में लिखे होने चाहिए।
 7. औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किया जा कर आपूर्ति की जावेगी।

मिशन निदेशक
राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर

मैंने/हमने उपरोक्त समस्त शर्तों, बोली सूचना व उसकी नियम, शर्तों का अध्ययन कर लिया है व अच्छी तरह समझ लिया है। सभी शर्तों से सहमति बतौर नीचे हस्ताक्षर कर दिये है।

हस्ताक्षर बोलीदाता
राजकीय उपक्रम/सोसायटी का
नाम मय सील

अनुलग्नक -1

राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में स्वीकृत राशि के अनुसार निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग से प्राप्त औषध मांगपत्र के अनुसार क्रय की जाने वाली होम्योपैथिक औषधियों का विवरण

क्रं.स.	औषधी का नाम	पैकिंग यूनिट	औषधालय अनुसार वर्ष 2015-16			चिकित्सालय अनुसार वर्ष 2015-16			औषधालयों एवं चिकित्सालयों में कुल औषधि आपूर्ति मात्रा
			आपूर्ति मात्रा प्रति औषधालय	औषधालयों की संख्या	औषधालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	आपूर्ति मात्रा प्रति चिकित्सालय	चिकित्सालयों की संख्या	चिकित्सालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	
A	HOMOEOPATHIC DILUTIONS 30 POTENCY								
1	ANTIMONIUM TARTARICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
2	APIS MELLIFICA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
3	ARGENTUM NITRICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
4	ARSENICUM ALBUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
5	BARYTA CARB	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
6	BELLADONNA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
7	BLATTA ORIENTALIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
8	BORAX	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
9	BRYONIA ALBA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
10	CARBO VEG.	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
11	CALCAREA CARBONICA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
12	CALCAREA PHOSPHORICA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
13	CALENDULLA OFFICINALIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
14	CANNABIS INDICA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
15	CANNABIS SATIVA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311

16	CANTHARIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
17	CAULOPHYLLUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
18	CAUSTICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
19	CHAMOMILLA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
20	CHINA OFFICINALIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
21	CHININUM ARSENICOSUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
22	CINA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
23	COLLINSONIA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
24	COLOCYNTHIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
25	DIOSCOREA VILLOSA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
26	DULCAMARA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
27	EUPATORIUM PERFOLIATUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
28	EUPHRASIA OFFICINALIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
29	EEL SERUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
30	GELSEMIUM SEM.	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
31	GLONON	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
32	GRAPHITES	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
33	HEPAR SULPHUR CALCAREUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
34	IPECACUANHA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
35	JUSTICIA ADHATODA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
36	KALI BROMATUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
37	KALI BICHROMICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
38	KALI CARBONICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
39	KALI IODATUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
40	KALI MURIATICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
41	KREOSOTUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
42	LACHESIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
43	LEDUM PAL.	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
44	LYCOPODIUM CLAVATUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
45	MERCURIUS CORROSIVUS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
46	MERCURIUS SOLUBILIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
47	MEZERIUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
48	MILLEFOLIUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
49	NATRUM MURIATICUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311

50	NITRIC ACID	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
51	NUX VOMICA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
52	PETROLIUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
53	PHOSPHORUS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
54	PLANTAGO MAJOR	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
55	PRUNUS SPINOSA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
56	PSORINUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
57	PULSATILLA NIGRICANS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
58	RATANHIA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
59	RHUS TOXICODENDRON	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
60	RUMEX	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
61	SABINA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
62	SENEGA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
63	SARSAPARILLA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
64	SEPIA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
65	SILICEA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
66	SPIGELIA ANTHELMIA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
67	SPONGIA TOSTA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
68	SABADILLA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
69	SULPHUR	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
70	SULPHURIC ACID	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
71	TEREBINTHINA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
72	TEUCRIUM M.V.	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
73	THUJA OCCIDENTALIS	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
74	VERETRUM ALBUM	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
75	WYETHIA	100 ML	1	305	305	1	6	6	311
B	EYE DROPS								
76	CINERARIA EYE DROPS	10 ML	50	305	15250	94	6	564	15814
C	EYE DROPS								
77	EUPHRASIA EYE DROP	10 ML	50	305	15250	90	6	540	15790
D	EAR DROP								
78	MULLEIN OIL EAR DROP	10 ML	26	305	7930	44	6	264	8194
E	LIST OF BIOCHEMIC MEDICINE 6X POTENCY								
79	FERRUM PHOS	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
80	KALI MUR.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311

81	KALI PHOS.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
82	KALI SULPH.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
83	NAT.PHOS.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
84	NAT. SULPH.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
85	NAT MUR.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
86	CALCAREA PHOS.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
87	CALCAREA SULPH..	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
88	MAG.PHOS.	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
89	SILICEA	500 GM	1	305	305	1	6	6	311
F	HOMOEOPATHIC OINTMENT								
90	AESCLUSUS HIP.	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
91	ARNICA MONTANA	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
92	BERBERIS AQUIFOLIUM	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
93	CALENDULLA OFFICINALIS	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
94	CANTHARIS	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
95	HAMAMELIS VERGINICA	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
96	LEDUM PULUSTRE	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
97	PETROLIUM	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110
98	RHUS TOXICODENDRON	25 GM	10	305	3050	10	6	60	3110

अनुलग्नक -1

राज्य वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि के अनुसार निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग से प्राप्त औषध मांगपत्र के अनुसार क्रय की जाने वाली होम्योपैथिक औषधियों का विवरण

क्रं. स.	औषधी का नाम	पैकिंग यूनिट	औषधालय अनुसार वर्ष 2016-17			चिकित्सालय अनुसार वर्ष 2016-17			औषधियों एवं चिकित्सालयों में कुल औषधी आपूर्ति मात्रा
			आपूर्ति मात्रा प्रति औषधालय	औषधालयों की संख्या	औषधालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	आपूर्ति मात्रा प्रति चिकित्सालय	चिकित्सालयों की संख्या	चिकित्सालयों में कुल आपूर्ति मात्रा	
A	HOMOEOPATHIC DILUTIONS 30 POTENCY								
1	ANTIMONIUM TARTARICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
2	APIS MELLIFICA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
3	ARGENTUM NITRICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
4	ARSENICUM ALBUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
5	BARYTA CARB	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
6	BELLADONNA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
7	BLATTA ORIENTALIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
8	BORAX	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
9	BRYONIA ALBA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
10	CARBO VEG.	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
11	CALCAREA CARBONICA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
12	CALCAREA PHOSPHORICA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
13	CALENDULLA OFFICINALIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
14	CANNABIS INDICA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
15	CANNABIS SATIVA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
16	CANTHARIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
17	CAULOPHYLLUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6

18	CAUSTICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
19	CHAMOMILLA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
20	CHINA OFFICINALIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
21	CHININUM ARSENICOSUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
22	CINA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
23	COLLINSONIA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
24	COLOCYNTHIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
25	DIOSCOREA VILLOSA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
26	DULCAMARA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
27	EUPATORIUM PERFOLIATUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
28	EUPHRASIA OFFICINALIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
29	EEL SERUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
30	GELSEMIUM SEM.	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
31	GLONON	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
32	GRAPHITES	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
33	HEPAR SULPHUR CALCAREUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
34	IPECACUANHA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
35	JUSTICIA ADHATODA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
36	KALI BROMATUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
37	KALI BICROMICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
38	KALI CARBONICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
39	KALI IODATUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
40	KALI MURIATICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
41	KREOSOTUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
42	LACHESIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
43	LEDUM PAL.	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
44	LYCOPODIUM CLAVATUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
45	MERCURIUS CORROSIVUS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
46	MERCURIUS SOLUBILIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
47	MEZERIUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
48	MILLEFOLIUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
49	NATRUM MURIATICUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
50	NITRIC ACID	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
51	NUX VOMICA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
52	PETROLIUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
53	PHOSPHORUS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
54	PLANTAGO MAJOR	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
55	PRUNUS SPINOSA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
56	PSORINUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
57	PULSATILLA NIGRICANS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
58	RATANHIA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6

59	RHUS TOXICODENDRON	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
60	RUMEX	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
61	SABINA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
62	SENEGA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
63	SARSAPARILLA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
64	SEPIA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
65	SILICEA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
66	SPIGELIA ANTHELMIA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
67	SPONGIA TOSTA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
68	SABADILLA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
69	SULPHUR	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
70	SULPHURIC ACID	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
71	TEREBINTHINA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
72	TEUCRIUM M.V.	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
73	THUJA OCCIDENTALIS	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
74	VERETRUM ALBUM	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
75	WYETHIA	100 ML	0	246	0	1	6	6	6
B	HOMOEOPATHIC DILUTIONS 200 POTENCY								
76	AESCULUS HIPPOCASTANUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
77	ALLIUM CEPA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
78	ALOE SOCROTINA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
79	ALUMINA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
80	AMMONIUM CARBONICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
81	AMMONIUM MURIATICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
82	ANACARDIUM ORIENTALE	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
83	ANTIMONIUM CRUDUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
84	ARGENTUM METALICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
85	ARNICA MONTANA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
86	ARSENICUM ALBUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
87	ARSENICUM IODATUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
88	ASAFOETIDA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
89	AURUM METALICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
90	BACILLINUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
91	BENZOIC ACID	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
92	BERBERIS VULGARIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
93	BOVISTA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
94	CARBO VEGITABILIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
95	CALCAREA CARBONICA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
96	CALCAREA FLUORICA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
97	CARBO ANIMALIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
98	CAUSTICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252

99	COLCHICUM AUTUMNALE	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
100	CONIUM MACULATUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
101	COLOCYNTHIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
102	CRATAEGUS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
103	DULCAMARA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
104	EQUISETUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
105	FERRUM MET	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
106	FLUORICUM ACIDUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
107	GELSEMIUM SEMP.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
108	GLONOIN	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
109	GRAPHITES	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
110	GUAIAACUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
111	HAMAMELIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
112	HEPAR SULPH.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
113	IGNATIA AMARA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
114	IODUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
115	IRIS VERSICOLOR	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
116	KALI BICHROMICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
117	KALI PHOSPHORICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
118	KALI CARBONICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
119	KREOSOTUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
120	LACHESIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
121	LEDUM PAL	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
122	MAGNESIUM PHOSPHORICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
123	MEDORRHINUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
124	MERCURIUS SOLUBILIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
125	MEZERIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
126	MURIATICUM ACIDUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
127	NATRUM CARB.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
128	NATRUM MURIATICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
129	NITRIC ACID	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
130	NUX VOMICA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
131	PETROLIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
132	PHOSPHORIC ACID	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
133	PHOSPHORUS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
134	PODOPHYLLUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
135	PULSATILLA NIG.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
136	PYROGENIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
137	RHUS TOX.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
138	RUTA G.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
139	SELENIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
140	SEPIA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
141	SILICEA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
142	SPIGELIA A.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
143	SPONGIA TOSTA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252

144	STANNUM MET.	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
145	STAPHISAGRIA	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
146	STRAMONIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
147	SULPHUR	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
148	SYPHILINUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
149	TELLURIUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
150	THUJA OCCIDENTALIS	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
151	THYROIDINUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
152	VERETRUM VIRID	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
153	ZINCUM METALLICUM	100 ML	1	246	246	1	6	6	252
C	HOMOEOPATHIC 3X POTENCY								
154	ASAFOETIDA	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
155	CHININUM ARSENICOSUM	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
156	EEL SERUM	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
157	GUN POWDER	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
158	HECLA LAVA	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
159	IRIS TENAX	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
160	KALI BROMATUM	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
161	URANIUM NITRICUM	500 GM	1	246	246	1	6	6	252
D	EYE DROPS								
162	CINERARIA EYE DROPS	10 ML	50	246	12300	200	6	1200	13500
E	EYE DROPS								
163	EUPHRASIA EYE DROP	10 ML	60	246	14760	200	6	1200	15960
F	EAR DROP								
164	MULLEIN OIL EAR DROP	10 ML	28	246	6888	100	6	600	7488
G	LIST OF BIOCHEMIC MEDICINE 6X POTENCY								
165	FERRUM PHOS	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
166	KALI MUR.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
167	KALI PHOS.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
168	KALI SULPH.	500 GM	1	246	246	5	6	30	276
169	NAT.PHOS.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
170	NAT. SULPH.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
171	NAT MUR.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
172	CALCAREA PHOS.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
173	CALCAREA SULPH..	500 GM	1	246	246	5	6	30	276
174	MAG.PHOS.	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
175	SILICEA	500 GM	2	246	492	5	6	30	522
H	HOMOEOPATHIC OINTMENT								
176	AESCULUS HIP.	25 GM	20	246	4920	53	6	318	5238
177	ARNICA MONTANA	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
178	BERBERIS AQUIFOLIUM	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
179	CALENDULLA OFFICINALIS	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220

180	CANTHARIS	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
181	HAMAMELIS VERGINICA	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
182	LEDUM PULUSTRE	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
183	PETROLIUM	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220
184	RHUS TOXICODENDRON	25 GM	20	246	4920	50	6	300	5220

नोट:— उपरोक्त मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भव है। वर्ष 2015–16 हेतु क्रम संख्या 1 से 98 एवं वर्ष 2016–17 हेतु क्रम संख्या 1 से 184 तक की औषधियों के लिए आदेशित मात्रानुसार होम्योपैथी औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए पृथक-पृथक किट तैयार किए जाने है। इन किटों की पैकिंग पर पृथक-पृथक औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए सप्लाय अंकित करना होगा।

उपरोक्त आपूर्ति हेतु आदेशित सभी औषधियों के प्रति औषधालय/चिकित्सालयों अनुसार किट बनाये जाने है। यह किट एक जिले में जितने औषधालय/चिकित्सालय है, उन सभी औषधालयों/चिकित्सालयों के लिए अलग-अलग किट तैयार किया जाकर एक जिले वाईज औषधालयों/चिकित्सालयों अनुसार पैकिंग/किट संबंधित रसायनशाला अजमेर में पहुँचाए जाने है। रसायनशालाओं के अनुसार आपूर्ति किए जाने वाले किट का विवरण इस प्रकार है :-

Districtwise List of Homoeo Dispensaries and Hospitals for Distribution of Homoeo Medicine Kit as per National Ayush Mission SAAP Year 2015-16

S. No.	Name of Pharmacy	Name of District	Total Dispensaries	Total Hospitals
1	2	3	4	5
1	Ajmer	Ajmer	10	2
		Jaipur-I	27	0
		Jaipur-II	5	0
		Tonk	7	0
		Jhunjhunu	8	1
		Nagour	12	0
		Sikar	12	0
		Jodhpur	8	1
		Churu	10	0
		Jalore	8	0
		Jaisalmer	2	0
		Pali	11	1
		Barmer	8	0
		Bikaner	13	0
		Ganganagar	7	0
		Sirohi	8	0
		Hanumangar	6	0
		Bharatpur	15	0
		Alwar	12	0
		Karauli	8	0
		Kota	12	1
		Jhalawar	12	0
		Dausa	5	0
		Dholpur	7	0
Baran	8	0		
Bundi	8	0		
Sawai Madhopur	3	0		
Udaipur	10	0		

	Chittorgarh	4	0
	Dungarpur	7	0
	Pratapgarh	4	0
	Banswara	11	0
	Bhilwara	10	0
	Rajsamand	7	0
Grand Total		305	6

Districtwise List of Homoeo Dispensaries and Hospitals for Distribution of Homoeo Medicine Kit as per National Ayush Mission SAAP Year 2016-17

S. No.	Name of Pharmacy	Name of District	Total Dispensaries	Total Hospitals
1	2	3	4	5
1	Ajmer	Ajmer	9	2
		Jaipur-I	29	0
		Jaipur-II	8	0
		Tonk	6	0
		Jhunjhunu	5	1
		Nagour	9	0
		Sikar	16	0
		Jodhpur	4	1
		Churu	9	0
		Jalore	4	0
		Jaisalmer	1	0
		Pali	8	1
		Barmer	4	0
		Bikaner	11	0
	Ganganagar	3	0	
	Sirohi	5	0	

	Hanumangar	8	0
	Bharatpur	14	0
	Alwar	14	0
	Karauli	6	0
	Kota	8	1
	Jhalawar	8	0
	Dausa	5	0
	Dholpur	5	0
	Baran	6	0
	Bundi	6	0
	Sawai Madhopur	3	0
	Udaipur	6	0
	Chittorgarh	2	0
	Dungarpur	3	0
	Pratapgarh	2	0
	Banswara	8	0
	Bhilwara	7	0
	Rajsamand	4	0
	Grand Total	246	6

नोट : उपरोक्त किट की संख्या एक बार दिए गये आपूर्ति आदेश के अनुसार है। दुबारा आदेश दिये जाने पर औषधी की आपूर्ति हेतु तदानुसार किट तैयार करने होंगे।

बोली प्रतिभूति/कार्य सम्पादन प्रतिभूति में छूट बाबत् राजकीय उपक्रम/
फार्मसी/राजकीय रजिस्टर्ड सहकारी सोसायटी होने संबंधी घोषणा

मैं/हम एतद् द्वारा घोषित करता हूँ/करते है कि, हमारी फर्म/संस्था मैसर्स
..... केन्द्र/राज्य सरकार
का सरकारी उपक्रम/फार्मसी/राजकीय रजिस्ट्रीकृत सहकारी संस्था है, जिसकी पुष्टि हेतु प्रमाण
पत्र/दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न है, तथा हमारी फर्म/संस्था राजस्थान लोक उपापन में
पारदर्शिता नियम 2013 के अनुच्छेद 42 (3) के अनुसार बोली प्रतिभूति तथा नियम 75 के अन्तर्गत
कार्य सम्पादन प्रतिभूति से मुक्त है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

बोलीदाता द्वारा स्व-घोषणा
(देखे नियम 48-VII)

मैं/हम, घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन निर्मित औषधियों के लिए बोली दी है, उनका/उनके, मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

औसत वार्षिक टर्नओवर का स्टेटमेन्ट

यह प्रमाणित किया जाता है कि आयुर्वेद औषध निर्माता मैसर्स

.....का विगत तीन वर्षों का केवल होम्योपैथी औषधियों का वार्षिक टर्न ओवर निम्नानुसार है तथा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यह स्टेटमेन्ट सत्य एवं सही है।

क्रम संख्या	वर्ष	टर्न ओवर (रूपये लाखों में)
1.	2013-14	
2.	2014-15	
3.	2015-16	
4.	कुल	
5.	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

हस्ताक्षर
चार्टर्ड अकाउण्टेन्ट

नाम

रजिस्ट्रेशन न.

सील

(रूपये 10/- के नॉन ज्यूडिशियन स्टाम्प पेपर पर एवं नोटेरी से प्रमाणित)

ब्लैक लिस्टेड नहीं होने का घोषणा-पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरी/हमारी संस्था
..... को आज दिनांक तक
केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभाग/उपक्रमों से ब्लैक लिस्टेड/प्रतिबंधित नहीं किया गया
है एवं न ही काली सूची में डाला गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध
किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any ; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Principal Secretary, Ayurved Department, Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary, Finance Department, Rajasthan, Jaipur/

Filing and appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (3) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
 - (a) **determination of need of procurement;**
 - (b) **provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;**
 - (c) **the decision of whether or not to enter into negotiations;**
 - (d) **cancellation of a procurement process;**
 - (e) **Applicability of the provisions of confidentiality.**

(4) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(5) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(6) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

- a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;
- b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों की पालना का घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, मैंने/हमने जिन औषधियों के लिए बोली दी है, उनके औषध निर्माण हेतु फार्मसी/औषध परीक्षण प्रयोगशाला में वर्तमान में आवश्यक सभी विधि सम्मत प्रावधानों का पालन किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए, तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

बोलीदाता द्वारा सहमति पत्र

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी,
जयपुर की विज्ञप्ति संख्या.....
दिनांक.....के सन्दर्भ में राजकीय होम्योपैथिक औषधालयों/चिकित्सालयों
हेतु निर्मित अत्यावश्यक औषधियों की आपूर्ति हेतु मैंने/हमने सभी नियम व शर्तें पढ ली
हैं, जिसके आधार पर आपूर्ति करने हेतु सहमति प्रदान करता हूँ/करते हैं। साथ ही
बोली फार्म का शुल्क राशि रु.....(.....
.....) बैंकर्स चेक/डी.डी. संख्या.....दिनांक.....
..बैंक.....संलग्न है। यदि
निविदा की शर्तों का पालन नहीं किया जाता है, तो मिशन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की
जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

आपूर्ति के संबंध में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश दिये जाने की दशा में, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आदेश में इंगित मात्रा मिशन निदेशक, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को निर्देशित स्थान पर एफ.ओ.आर आपूर्ति सुनिश्चित रूप से की जायेगी। मैंने/हमने निम्नांकित निर्मित औषधियों के लिए वित्तीय दरें दी है जिनकी आपूर्ति के क्रम में निम्नानुसार प्रतिबद्धता करते है :-

क्र. सं.	निर्मित औषधी का नाम	वार्षिक उत्पादन क्षमता	मासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	त्रैमासिक आपूर्ति प्रतिबद्धता	दर संविदा समय में आपूर्ति की प्रतिबद्धता

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, औषधियों का निर्माण भारत सरकार द्वारा निर्धारित अत्यावश्यक औषधियों की सूची में उल्लेखित सन्दर्भों के अनुसार ही किया जाता है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि, मेरी/हमारी फर्म द्वारा आपूर्ति की गई औषधि यदि मानकों के अनुरूप गुणवत्ता न पाये जाने पर, उन औषधियों को मैं/हम स्वयं के खर्चे पर वापस प्राप्त करूँगाँ/करेंगे व मानक के अनुरूप व गुणवत्ता पूर्ण औषधी की आपूर्ति करूँगाँ/करेंगे।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति संबंधी स्व-घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर द्वारा औषधियों की आपूर्ति संबंधी आपूर्ति आदेश में इंगित अवधि में मेरे/हमारे द्वारा औषधियों की आपूर्ति सुनिश्चित की जायेगी। निश्चित अवधि में आपूर्ति न हो पाने की दशा में बोली की शर्तों के अनुसार प्रतिदिन की दर से देय परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति के लिए मैं/हमारी फर्म पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

घोषणा-पत्र

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मेरे/हमारे द्वारा औषधियों का जो मूल्य भरा गया है, इससे कम दरों पर उन औषधियों की आपूर्ति अनुबंध अवधि के दौरान नहीं की जावेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो मिशन के तहत की जाने वाली सप्लाई में इसका लाभ दिया जाएगा।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए तो मिशन द्वारा मेरे/हमारे विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

उत्पादन शुल्क भुगतान संबंधी घोषणा
(प्रमाण के रूप में रिटर्न/चालान की प्रतिया संलग्न करें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स द्वारा वर्ष 2015-16 (31.03.2016 तक) का समस्त देय उत्पादन शुल्क का भुगतान किया जा चुका है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

या

उत्पादन शुल्क से मुक्त होने संबंधी घोषणा

(संबंधित आदेश जिसके तहत मुक्ति प्राप्त है, संलग्न करें)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स द्वारा उत्पादन की जा रही औषधियां उत्पादन शुल्क से मुक्त हैं।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के

अन्तर्गत घोषणा प्रमाण पत्र

मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत घोषणा करता हूँ /करते है कि :-

- (क) आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबंधकीय स्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा जारी किए गए बोली दस्तावेजों, पूर्व-अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करते है।
- (ख) ऐसे करों को संदत्त करने की जो बोली दस्तावेजों, पूर्व अर्हता-दस्तावेजों या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगें।
- (ग) दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नही होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यक्षीन होगा।
- (घ) अपने वृत्तिक आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारंभ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्ध हुए हैं, या विर्वजन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है।
- (ङ) ऐसे हित, जो पूर्व-अर्हता के दस्तावेजों बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जाये, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगें, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप ये प्रभावित करें।
- (च) कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगें।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

फर्म का कोई भी उत्पाद विगत 3 वर्ष के दौरान किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा
अवमानक घोषित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र

(रूपये 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एवं नॉटरी पब्लिक से प्रमाणित)

हम मैसर्स (फर्म का नाम एवं पता.....
.....एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि हमारे उत्पादों को आज दिनांक तक किसी भी
राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के संस्थानों द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान
नकली/अवमानक घोषित नहीं किया गया है। यदि इस संबंध में कोई भी विरोधी तथ्य
आगामी कालावधि में मिशन के संज्ञान में आता है, तो हमारी फर्म के विरुद्ध बोली की
शर्तों के अंतर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

केन्द्र/राज्य सरकारो के विभागों/उपक्रमों में संतोषप्रद आपूर्ति करने संबंधी प्रमाण पत्र
(Performance Certificate)

(आपूर्ति आदेश एवं विभाग से प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रतियां संलग्न करे)

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी फर्म मैसर्स
..... द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/केन्द्र सरकार के उपक्रमो/विभागों से निम्नानुसार होम्योपैथिक औषधियों की आपूर्ति हेतु कार्यादेश प्राप्त किए है एवं सफलतापूर्वक आपूर्ति की गई है। प्राप्त आदेशों का विवरण निम्न प्रकार है –

क्र. स.	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	विभाग का नाम	कार्यादेश राशि	आपूर्ति हेतु निर्धारित अवधि	वास्तविक आपूर्ति दिनांक
1					
2					
3					
4					
5					

स्थान :-

दिनांक :-

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

शपथ पत्र 500/— रूपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर

नोटरी द्वारा सत्यापित

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि, मैंने/हमने आयुर्वेद निर्मित औषधियों के क्रय हेतु तकनीकी बोली के बिन्दु सं का 7 (30) के अनुसार क्रम संख्या 1 से 31 तक में जो घोषणा पत्र/प्रमाण पत्र/अन्य सूचना संलग्न किए गये हैं, वे सत्य एवं पूर्णतया सही हैं। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है। और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है, तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए मिशन स्वतंत्र है।

स्थान

बोलीदाता के हस्ताक्षर

दिनांक

करार पत्र (देखिए नियम 68)

1. यह करार पत्र आज दिनांक माह सन्..... को एक पक्ष के (जिसे इसमें आगे 'अनुमोदित सप्लायर' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर (जिसे इसमें आगे 'मिशन' कहा गया है, तथा इस अभिव्यक्ति में, जंहा संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशियों को शामिल हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच समपन्न किया गया।
2. चूंकि अनुमोदित सप्लायर, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राजस्थान स्टेट आयुष सोसायटी, जयपुर को उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में जिला आयुर्वेद अधिकारियों को भी, इसमें संलग्न की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को बोली एवं बोली की शर्तों में दिए गए तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम में दी गयी दरों पर सप्लाई करने के लिए मिशन से सहमत हो गया है।
3. चूंकि अनुमोदित सप्लायर ने रुपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:—
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक द्वारा,
 - (ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बुक के रूप में,
 - (iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स/किसान विकास पत्रों या किन्हीं अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रुमेंट्स के रूप में, यदि इन्हें संबंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किए जाएंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप में हस्तांतरित कर दिया गया है।
4. अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:—
 - (i) इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के मार्फत मिशन द्वारा किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर में तथा बोली एवं बोली की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लाई करेगा।
 - (ii) निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली बोली हेतु बोली एवं बोली की शर्तों में तथा इस करार पत्र से जुड़ी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगी।
 - (iii) बोलीदाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें तथा मिशन द्वारा जारी किए गए पत्र के भाग के रूप में होंगी।
4. (क) मिशन एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि, यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं की उपर्युक्त तरीके से विधिवत् सप्लाई करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो मिशन के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिए गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।
- (ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी :—
 1. माल का भुगतान जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तथा इस हेतु गठित कमेटी द्वारा माल स्वीकार किये जाने पश्चात् किया जावेगा।
 2. प्रक्रिया के अन्तर्गत भुगतान में विलम्ब होने पर किसी प्रकार का क्लेम मान्य नहीं होगा।
 3. बिल के साथ प्रत्येक बैच की लेबोरेट्री टेस्ट रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित करनी होगी।

5. माल की सुपुर्दगी सप्लाई देने हेतु आदेश की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी।

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि
1. होम्योपैथी औषधियों के किट		60 दिन

6. (1) (i) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो, सप्लाई न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशतों के आधार पर वसूली की जाएगी :-

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए	2.5%
(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए	5%
(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए	7.5%
(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए	10%

टिप्पणी :

- (i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
(iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा, जिसने वो सप्लाई आदेश दिया था, किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा, न कि सप्लाई को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।

- (2) यदि माल की सप्लाई में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ जो निविदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।

7. करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा इस करार पत्र के निर्वचन या व्याख्या से संबंधित सभी प्रश्न मिशन द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे तथा मिशन का निर्णय अन्तिम होगा।

इसकी साक्षी में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक माह सन् को अपने हस्ताक्षर किए।

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

मिशन के लिए एवं उनकी ओर से

पदनाम

दिनांक :
साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2

दिनांक :
साक्षी सं. 1
साक्षी सं. 2